न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश कुमार, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 31/2012 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा , जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

लालचन्द्र आत्मज किशनलाल जाति गूजर निवासी धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1 राजकीय पेरोकार (राजकीय पेरोकार ,प्रार्थी की ओर से)
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता (अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने बाबत

निर्णय दिनांक : 18.10.2024

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी लालचन्द्र आत्मज किशनलाल जाति गूजर निवासी धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा को ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा में स्थिति ख0न0 451 रकबा 1.74 हैक्टर भूमि दिनांक 18.06.1999 को राजस्थान भू0 राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 के प्रावधानो के अन्तर्गत आवंटन की गई थी। राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के प्रावधान के अन्तर्गत आवंटन की शर्त संख्या 14(3) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में 50% क्षेत्रफल,दूसरे वर्ष में शेष क्षेत्रफल पर काश्त करनी अनिवार्य थी। आवंटी द्वारा उसे आवंटित भूमि पर आवंटन की तिथि तथा कब्जा प्राप्ति तिथि से आज तक कृषि मय नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आवन्टी को किया गया उक्त आवंटन नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त किया जावे।

2. उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण 47/2003 सरकार बनाम लालचन्द्र में न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा का पारित निर्णय दिनांक 12.06.2007 से राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा में स्थिति ख0न0 451 रकबा 1.74 हैक्टर का किया गया आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1999 निरस्त किया जाने पर अप्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 12.06.2017 की अप्रसन्नता से माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील संख्या 529/2007 लालचन्द्र बनाम सरकार प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 22.11.2010 से अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि वह अपीलाण्ट को जवाब एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित

अति. जिला कलक्टर
कोटा

अवसर प्रदान करते हुए पुन– विधि सम्पत निर्णय पारित करे। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। दौराने विचारण अप्रार्थी की ओर से फर्द दस्तावेज पेश की गई।

3. अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी का कथन है कि ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की ख0न0 451 रकबा 1.74 है0 भूमि प्रतिपक्षी को दिनांक 18.06.99 को नियमानुसार आवंटन की गई थी आवंटन भूमि पर कब्जा दिया गया था।आवंटन के पश्चात प्रतिपक्षी ने काफी रकम विनियोजित कर उपरोक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया है उपरोक्त भूमि असिंचित है फसल का होना वर्षा पर निर्भर करता है जब–जब भी समुचित मात्रा में बारिश होती हे प्रतिपक्षी ने उपरोक्त भूमि को काश्त किया है एवं फसल प्राप्त की है। अनावृष्टि होने पर उपरोक्त भूमि पर फसल किया जाना संभव नहीं होता है। कभी कभी उपरोक्त भूमि पडत रह जाती है। प्रतिपक्षी ने समय समय पर फसल बोई है एवं काटी है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत खसरा –गिरदावरी से होती है। उपरोक्त भूमि के अलावा प्रतिपक्षी के पास अन्य कोई कृषि भूमि नहीं है। प्रतिपक्षी भूमिहीन काश्तकार है उसके पास काश्तकारी के अलावा आमदनी का कोई जरिया नहीं है। प्रतिपक्षी की तत्कालीन संरपच श्री श्रीलाल जी से कोई रिश्तेदारी नहीं है एवं आपस में कोई संबध नहीं है उक्त श्रीलाल जी एवम प्रतिपक्षी दोनो जाति से गूजर है परन्तु उनके गोत्र अलग अलग है। तहसीलदार ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय त्रुटि पूर्ण एव मनमानी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है जो मौके की स्थिति के सर्वथा विपरीत है। उपरोक्त भूमि के आवंटन के पश्चात प्रतिपक्षी की गैर खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। रिपोर्ट तहसील दिनांक 14.10.2005 एवं दिनांक 10.06.2007 से प्रतिपक्षी के उपरोक्त भूमि पर कब्जा होने के तथ्य की एवम आवंटन की शर्तो की पालना किये जाने की पुष्टि होती है । प्रतिपक्षी अपने कथन की पुष्टि में दस्तावेजात एवं शहादत प्रस्तुत करना चाहते है। इस बावत प्रतिपक्षी को अवसर प्रदान फरमाया जावे। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रतिपक्षी के पक्ष में किया गया उपरोक्त भूमि का आवंटन यथावत कायम रखे जाने का आदेश फरमाया जावे।

4 अप्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का प्रार्थना पत्र में बहस में कथन है कि वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की ख0न0 451 रकबा 1.74 है0 भूमि प्रतिपक्षी को दिनांक 18.06.99 को नियमानुसार आवंटन की गई थी। आवंटन भूमि पर कब्जा दिया गया था। उपरोक्त भूमि पर के आवंटन के पश्चात प्रतिपक्षी की गैर खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। रिपोर्ट तहसील दिनांक 14.10.2005 एवं दिनांक 10.06.2007से प्रतिपक्षी के उपरोक्त भूमि पर कब्जा होने के तथ्य की एवं आवंटन की शर्तो की पालना किये जाने की पुष्टि होती है। प्रतिपक्षी ने किसी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है ओर अप्रार्थी का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान राजकीय पेरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाके ग्राम धर्मपुरा के ख0न0 451 रकबा 1.74 है0 वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर मौके पर धान की फसल बो रखी है। मौके पर लालचन्द्र पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर का ही कब्जा काश्त है। अतः उक्त आराजी नगर विकास न्यास के नाम दर्ज हो जाने से आवंटन खारिज योग्य है।

6 उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है . प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण 47/2003 सरकार बनाम लालचन्द्र में न्यायालय जिला कलक्टर कोटा से पारित निर्णय दिनांक 12.06.2007 से राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील लाडपुरा में स्थिति ख0न0 451 रकबा 1.74 हैक्टर का किया गया आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1999 निरस्त किया जाने के आदेश दिये गये थे।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

जिस पर अप्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 12.06.2017 की अप्रसन्नता से माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील संख्या 529/2007 लालचन्द्र बनाम सरकार प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 22.11.2010 से अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया था कि वह अपीलाण्ट को जवाब एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुन:- विधि सम्पत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। दौराने विचारण अप्रार्थी की ओर से फर्द दस्तावेज पेश की गई। उनका अवलोकन किया गया। अतः वाके ग्राम धर्मपुरा के ख0न0 451 रकबा 1.74 है आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास के नाम दर्ज है। अतः उक्त आराजी नगर विकास न्यास के नाम दर्ज हो जाने से इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा के आदेश दिनांक 12.06.2007 को यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(श्री मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला-कोटा

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)